

## प्रारूप-छ (संलग्नक-6)

अग्नि सुरक्षा प्रमाणपत्र (पूर्णता (कम्प्लीशन) अनापत्ति प्रमाणपत्र)

यूआईडी संख्या : UPFS/2023/86450/AMR/AMROHA/715/CFO

दिनांक : 18-06-2023

प्रमाणित किया जाता है कि मेसर्स **RAJENDRA ACADEMY** पता **6 KM STONE,HASANPUR ROAD GAJRAULA,HASANPUR** तहसील - **HASANPUR** प्लॉट एरिया **8085.20 sq.mt** (वर्गमीटर), कुल कवर्ड एरिया **2695.57** (वर्ग मीटर), ब्लॉकों की संख्या - **1** जिसमें -

ब्लॉक/टावर	प्रत्येक ब्लॉक में तलों की संख्या	बेसमेन्ट की संख्या	ऊँचाई
RAJENDRA ACADEMY	2	0	7.62 mt.

है। भवन का अधिभोग मेसर्स **RAJENDRA ACADEMY** द्वारा किया जा रहा है। इनके द्वारा भवन में अग्नि निवारण एवं अग्नि सुरक्षा व्यवस्थाएं, एन0बी0सी0 एवं तत्संबंधी भारतीय मानक ब्यूरो के आई0एस0 के अनुसार भवन में स्थापित करायी गयी व्यवस्थाओं का निरीक्षण **अग्निशमन अधिकारी** द्वारा दिनांक **20-06-2023** को भवन स्वामी/भवन स्वामी के प्रतिनिधि श्री **MANINDER KAUR** के साथ किया गया। भवन में अधिस्थापित अग्नि सुरक्षा व्यवस्थाएं मानकों के अनुसार अधिस्थापित पायी गयी। अतः प्रश्रगत भवन को अग्नि सुरक्षा प्रमाणपत्र (फायर सेफ्टी सर्टिफिकेट) एन0बी0सी0 की अधिभोग श्रेणी **Educational** के अन्तर्गत वैधता तिथि **21-06-2023** से **20-06-2026** तक **3** वर्षों के लिए इस शर्त के साथ निर्गत किया जा रहा है कि भवन में नियमानुसार स्थापित सभी अग्निशमन व्यवस्थाओं का अनुरक्षण करते हुए क्रियाशील बनाये रखा जायेगा। भवन में स्थापित की गयी अग्निशमन व्यवस्थाओं में पायी गयी कमी के कारण किसी भी घटना के लिए मेसर्स **RAJENDRA ACADEMY** अधिभोगी पूर्ण रूप से जिम्मेदार होगा/होगें। निर्गत अग्नि सुरक्षा प्रमाणपत्र का नवीनीकरण निर्धारित समयावधि के अन्दर न कराये जाने पर निर्गत अग्नि सुरक्षा प्रमाणपत्र स्वतः ही निरस्त मान लिया जायेगा, जिसके लिए मेसर्स **RAJENDRA ACADEMY** अधिभोगी पूर्ण रूप से जिम्मेदार होगा/होगें।

- Note :** 1. अग्निशमन अधिकारी की संस्तुति सहित आख्या तथा शासनादेश संख्या 187/छ:-पु0-08-2022/905(34) 2016 दिनांक 07.01.2022 में निहित शर्तों के अनुसार निर्गत  
2. प्रश्रगत भवन के स्थायित्व व विद्युत सुरक्षा हेतु सम्बंधित विभाग से प्रमाण पत्र लिया जाना वांछनीय है।

**"यह प्रमाण-पत्र आपके द्वारा प्रस्तुत अभिलेखों, सूचनाओं के आधार पर निर्गत किया जा रहा है। इनके असत्य पाए जाने पर निर्गत प्रमाण-पत्र मान्य नहीं होगा। यह प्रमाण-पत्र भूमि / भवन के स्वामित्व / अधिभोग को प्रमाणित नहीं करता है।"**



**मुख्य अग्निशमन अधिकारी**

(डिजिटल रूप से हस्ताक्षरित)

**ANIL KUMAR SINGH**

FD CD237394D8AC9C11B0AC3847DA0B6EAAC2D64A

21-06-2023

निर्गत किये जाने का दिनांक : **21-06-2023**  
स्थान : **AMROHA**

Note:- Kindly check the authentication of NOC by verifying the UID at departmental portal of UP Fire Service.